



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928



संख्या-3251-कार्य/चौदह-पाकालि/2018-65-के/2018

दिनांक: 12/11/2018

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्वल/मध्यांचल/दक्षिणान्वल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय :- भण्डार से 08 बी पर निर्गत सामग्री का समायोजन किये जाने हेतु गाइड लाईन्स।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सहयोगी वितरण निगमों एवं केस्को के अन्तर्गत वितरण क्षेत्रों में अवर अभियन्ताओं को '08 बी' के अन्तर्गत सामग्री को निर्गत किये जाने एवं उसका समायोजन न करने से होने वाली विभिन्न समस्याओं के दृष्टिगत '08 बी' के अन्तर्गत सामग्री निर्गत करने तथा उसके समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्नानुसार गाइड लाईन्स निर्धारित की जाती हैं :-

1. मात्र अपरिहार्य परिस्थितियों में ही '08 बी' पर सामग्री को निर्गत किया जाये। सामान्य परिस्थितियों में '08 बी' पर सामग्री को निर्गत नहीं किया जाये।
2. प्राक्कलन स्वीकृत हेतु सक्षम अधिकारी की संस्तुति उपरान्त ही '08 बी' पर सामग्री को निर्गत किया जाये।
3. अवर अभियन्ता प्रत्येक दशा में '08 बी' पर प्राप्त की गयी सामग्री का प्राक्कलन सामग्री निर्गमन तिथि से अधिकतम एक माह (30 दिवस) में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेंगे।
4. प्राक्कलन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी प्राक्कलन को स्वीकृत करने के उपरान्त सम्बन्धित भण्डार में सामग्री निर्गमन तिथि से अधिकतम 60 दिनों में प्रस्तुत किया जायेगा तथा भण्डार खण्ड द्वारा '08 बी' पर निर्गत सामग्री का समायोजन किया जायेगा।
5. '08 बी' पर निर्गत सामग्री का भण्डार के लेखों में लेखांकन किसी भी दशा में स्वीकृत प्राक्कलन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. उपरोक्त समय सीमा पालन नहीं करने वाले कार्मिक/कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-3251 (1)-कार्य/चौदह/पाकालि/2018 तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सम्बद्ध अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

4. समस्त निदेशकगण, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ एवं केस्को कानपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, (वितरण), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को कानपुर।
6. अपर सचिव- I/ II/ III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, लेखा, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (वितरण), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को कानपुर।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को कानपुर।
11. समस्त उप मुख्य लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को कानपुर।
- ✓ 12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

Diparna - 0
(अभिर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक